

दिनांक 17 व 18 दिसम्बर, 2015 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/झूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

- बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक— 3437/110/तीन/97-VI, दिनांक 10.12.2015 द्वारा निर्गत एजेण्डा के अनुसार समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों से योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की गयी।
- जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) की आनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग हेतु आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से मिशन के अंतर्गत चयनित 82 शहरों हेतु उपलब्ध कराये गये शहर मिशन प्रबन्धकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण एस0यू0एल0एम0 द्वारा लखनऊ में कराया जा चुका है। अतः सभी शहर, शहर मिशन प्रबन्धकों को यूजरआईडी/पासवर्ड उपलब्ध कराते हुए माह—दिसम्बर,2015 में एम0आई0एस0 आनलाइन फीडिंग कराना सुनिश्चित् करें। यह आनलाइन फीडिंग प्रत्येक माह की 05 तारीख तक फीड करना सुनिश्चित् किया जाये।
- समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया किसी भी सूचना के ई—मेल प्रेषण में विषय एवं जनपद का नाम जरूर अंकित किया जाय।

(कार्यवाही सूडा/समस्त झूडा)

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

- आई0एच0डी0पी0/बी0एस0यू0पी0 के अंतर्गत मूल्यवृद्धि के पश्चात् जिन जनपदों के प्रताव रवीकृत हो गये हैं एवं धनराशि जनपदों को अवमुक्त कर दी गयी है, को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में समस्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दें। यदि जनपद द्वारा कार्यदायी संस्था को समय से धनराशि प्रेषित नहीं की गयी तो इसका उत्तरदायित्व जनपद का ही होगा एवं किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराये जाये। धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त भी यदि कार्य समय से पूर्ण नहीं कराये जाते हैं तो इसके लिए कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी। मूल्यवृद्धि के लिए भी कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी।
- सभी जनपदीय प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि जिन आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनको शीघ्र लभार्थियों को आवंटित करने एवं लाभार्थी अंशदान की धनराशि कार्यदायी संस्था को शीघ्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित् की जाय।

(कार्यवाही सूडा/संबंधित झूडा/कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना

राजीव आवास योजनान्तर्गत संबंधित जनपदों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि शीघ्र अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित् किया जाये तथा जनपदों को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था को समस्य धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि कार्य समय से पूर्ण नहीं कराया जाता है तो इसके लिए जनपद एवं कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे।

(कार्यवाही—सूडा/संबंधित झूडा/कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना

- योजना की समीक्षा में इसकी प्रगति पर असंतोष प्रकट किया गया, अद्यतन कुल स्वीकृत 32274 आवासों के सापेक्ष 15926 पर कार्य प्रारम्भ है जिसके सापेक्ष 7654 आवास ही पूर्ण हैं (जिन पर कुछ कार्य किया जाना शेष है) एवं शेष विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार स्वीकृत आवासों के सापेक्ष प्रारम्भ आवासों का प्रतिशत 49.34 प्रतिशत है। प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि को अवगत कराया गया कि योजना की विकास एजेण्डा के अंतर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रत्येक माह समीक्षा की जा रही है एवं मुख्य सचिव महोदय द्वारा तत्काल वाचित प्रगति लाने हेतु निर्देश दिये जा रहे हैं। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया तत्काल कार्य प्रारम्भ कराते हुये अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाय एवं कार्यों में विलम्ब के लिए किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- समस्त परियोजना अधिकारियों एवं सी0 एण्ड डी0एस0 के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि अतिरिक्त बजट उपलब्ध न होने के दृष्टिगत पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं के पूर्ण कराने हेतु द्वितीय किस्त एवं अवस्थापना सुविधा की संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत कराने तथा उसके सापेक्ष धनराशि अवमुक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(संबंधित छूड़ा/कार्यदायी संस्था)

रिक्षा योजना

संबंधित परियोजना अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये कि चयनित लाभार्थियों की सत्यापरोपरान्त प्राप्त लाभार्थियों की अद्यतन सूची की सापेक्ष प्रति (अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति के उल्लेख सहित) एक सप्ताह के अन्दर ई—मेल के माध्यम से सूडा मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। प्रश्नगत योजना के संबंध में माझे मुख्यमंत्री जी के मेगा काल सेन्टर से संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में प्रेषित किये जाने के निर्देश भी दिये गये।

रिक्षा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्षा बीमा योजना

- पूर्व वर्षों से सांचालित, "रिक्षा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्षा बीमा योजना" के अंतर्गत समीक्षा बैठक के एजेण्डा में उल्लिखित वाचित बिन्दुवत् सूचना जनपदों से अनवरत कड़े निर्देश के बाद भी नहीं दी जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। निर्देशक महोदय द्वारा सचेत करते हुए पुनः निर्देशित किया गया कि उक्त कल्याणकारी योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु (पूर्व में एक मुश्त 10 वर्ष हेतु बीमित) लाभार्थियों को जानकारी प्रदान किये जाने के लिए समुचित प्रचार—प्रसार किया जाये। अपेक्षित सूचना जानकारी तत्काल मुख्यालय प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही—सूडा/संबंधित छूड़ा)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देशित किया गया था कि सभी जनपद के जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों पर समयानुसार आवश्यक कार्यवाही करें, अन्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि के अन्दर सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दें। जनपदों को यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही का विवरण नियमित रूप से अभिकरण मुख्यालय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। खेद का विषय है कि जनपदों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है। अभिकरण मुख्यालय पर अनापेक्षित प्रथम अपीलों के योजित होने के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर से

यथा समय आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह निर्देशित किया कि जनसूचना अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन पत्रों का यथा समय निस्तारण करें।

(कार्यवाही—जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

अर्बन स्टेटिटिक्स फॉर एच एण्ड एसेसमेंट्स (USHA)

प्रश्नगत योजना के परिपेक्ष्य में विगत दिनांक 15 एवं 16 अपैल 2015 को सम्पन्न मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 24.04.2015 में यह सुस्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के अनुरूप जिन जनपदों में स्लम प्रोफाइल से सम्बन्धित सुनिश्चित प्रारूप 1 पर सर्वेक्षित सूचना संग्रहित नहीं की गयी है या जहां सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य अपूर्ण है उन सभी शहरों में स्लम प्रोफाइल प्रारूप को समिलित करते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर 15 दिनों के अन्दर ऑनलाईन डेटाफीडिंग हेतु नामित संस्था (अप्ट्रान) के प्रतिनिधि को सर्वेक्षण प्रारूप की हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दी जाये। यह भी निर्देशित किया गया था कि समयबद्ध अनुपालन न किये जाने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। बैठक से पूर्व एवं इसके पश्चात भी अभिकरण रत्न से सभी जनपदों को सुस्पष्ट निर्देश पृथक से भी निर्गत किये गये।

निदेशक महोदय द्वारा विगत दिनों भारत सरकार के योजना से सम्बन्धित नोडल अधिकारी के रत्न से इस सम्बन्ध में किये जा रहे सतत अनुश्रवण एवं प्रश्नगत कार्य में कतिपय शिथिलता के सम्बन्ध में महालेखाकार की सम्प्रेक्षा टिप्पणी को भी इंगित करते हुए निर्धारित सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

उक्त क्रम में पुनः यह निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद विलम्बतम 15 दिन के अन्दर स्लम प्रोफाइल के सुनिश्चित प्रारूप पर सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराकर भरे गये प्रारूप नामित संस्था के प्रतिनिधि को ऑनलाईन डेटाफीडिंग हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। अनुपालन न किये जाने की स्थिति में व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही—समस्त सम्बन्धित छूटा)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०य००एल०एम०)

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए जिन शहरों से निःशुल्क भूमि अप्राप्त है उनको शीघ्र ही भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए डी०पी०आर० तैयार करने के पुनः निर्देश दिये गये। कार्यदायी संस्था सी० एण्ड डी०एस० को निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है, को शीघ्रता से पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाये। कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि जहां भूमि प्राप्त हो गयी है वहां की डी०पी०आर० शीघ्र तैयार कराकर मुख्यालय को प्रस्तुत करें। बैठक में कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि जिस शहर के प्रस्ताव स्वीकृत हो गये हैं तथा धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है किन्तु फिर भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है, में अविलम्ब कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उप घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH)) के अंतर्गत जनपदों के परियोजना अधिकारियों को पुनः अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या—55/2003 संलग्न रिट याचिका (सिविल)

संख्या—572/2003, ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य विचाराधीन है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण की संधन मानीटरिंग की जा रही है तथा समय—समय पर आदेश दिये जा रहे हैं। रिट याचिका (सिविल) संख्या—572/2003 के संदर्भ में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अंतर्गत आश्रय उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है। जिन शहरों में अभी तक आश्रय हेतु भूमि की उपलब्धता नहीं हो पायी है वहाँ विभिन्न सरकारी विभागों यथा—स्वास्थ्य, परिवहन एवं अन्य विभागों को सम्पर्क/समन्वय कर भूमि/भवन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि 05 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर प्राथमिकता के आधार पर भूमि/भवन की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करते हुये तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

- शहरी पथ विकेतोओं को सहायता (Support to Urban Street Vendor(SUSV)) के संबंध में नगर निगम वाले शहरों को पुनः 'निर्देशित किया गया कि शहरी पथ विकेतोओं की पंजीकृत सूची तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचना अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—सूडा/संबंधित छूडा/स्थानीय निकाय निदेशालय)

- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत एन0यू०एल0एम0 के चयनित शहरों को निर्देशित किया गया कि तत्काल बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक आवेदन पत्र प्रेषित कर स्वीकृत/वितरित कराना सुनिश्चित किया जाय। सभीक्षा में समूह ऋण की प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक पायी गयी। सभी सबधित शहरों को निर्देशित किया गया कि समूहों ऋण पर भी विशेष ध्यान दिया जाय एवं अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाय। जिन शहरों की प्रगति शून्य थी उनको कड़ी चेतावनी देते हुए प्रत्येक दशा में आगामी माह तक प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (EST&P) की प्रगति की सभीक्षा की गयी तथा जिन शहरों में प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में 31दिसम्बर,2015 तक प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।
- जिन शहरों में कौशल प्रशिक्षण कार्य की प्रगति 75 प्रतिशत के ऊपर होगी, उन शहरों की मांग के आधार पर अतिरिक्त लक्ष्यों को जारी करने पर विचार किया जायेगा।
- जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन शहरों हेतु सी0एल0री0 स्वीकृत कर धनराशि सूडा द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है, उन शहरों को निर्देश दिये गये कि वे तत्काल सी0एल0सी0 का विधिवत शुभारम्भ कराते हुये निर्धारित प्रारूप पर विस्तृत सूचना तत्काल उपलब्ध करायें।
- सभी जनपदों को निर्देशित किया गया कि एन0यू०एल0एम0 के अंतर्गत उपघटकवार व्यय की सूचना एम0पी0आर0/एम0आई०एस० में अवश्य दर्शायी जाये इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014–15 की सी0ए० ऑडिट रिपोर्ट एक सप्ताह में सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये।
- सभी शहरों को निर्देशित किया गया कि एन0यू०एल0एम0 के अंतर्गत मुख्यालय द्वारा स्वीकृत दरों पर कम्प्यूटर क्य कर शीघ्र एम0आई०एस० फीडिंग का कार्य सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही—समस्त छूडा)

आई०एल०सी०एस०

- योजनान्तर्गत जिन जनपदों ने धनराशि वसूल करने हेतु वसूली प्रमाण पत्र नहीं जारी किया है, तत्काल आंकलन कराकर आर०सी० जारी कराना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में संबंधित जनपदों को एफ०आई०आर० दर्ज कराने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुश्रवण करने के निर्देश भी दिये गये।

(कार्यवाही—संबंधित सूडा/झूडा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जिन जनपदों के पास धनराशि अवशेष है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी लंबित है, को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में लेखा मिलान कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और यदि धनराशि व्यय नहीं हो पायी है तो उसे 31.12.2015 तक गुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित करें।
- सभी संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि एस०जे०एस०आर०वाई० झापट ऑडिट पैरा की प्रततरवार स्पष्ट सूचना साथ सहित मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मत्तिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध धनराशि के 70 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं समरूप भौतिक प्रगति उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किस्त हेतु प्रस्ताव अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की गयी प्रथम एवं द्वितीय किस्त की धनराशि के उपयोग के संबंध में निर्धारित प्रारूप 42—I के प्रारूप “क” एवं “ख” पर गुणवत्ता/विशिष्टियों/उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूचना अवश्य उपलब्ध कराये जाने के निर्देश बैठक में दिये गये।

(कार्यवाही—संबंधित झूडा)

कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बस्ती

- उक्ता योजना के अंतर्गत जनपद मेरठ एवं वाराणसी के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र मुख्यालय को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही संबंधित झूडा)

एस०सी०एस०पी०

- एस०सी०एस०पी० योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 या उससे पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अभी भी कई जनपदों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष हैं, जब कि समस्त संबंधित जनपदों को पुनः निर्देशित किया जा चुका है कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र/धनराशि सूडा को उपलब्ध कराये। इस संबंध में संबंधित जनपदों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के अन्दर धनराशि सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—सूडा/संबंधित झूडा)



उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये –

- कार्यदायी संस्था को यह भी निर्देशित किया गया कि डी०पी०आर० में यह सुनिश्चित किया जाये कि जो कार्य योजनान्तर्गत लिये जायें वह किसी अन्य योजना के अन्तर्गत न लिये गये हों।
- समस्त निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये।
- समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें।

(कार्यवाही-समस्त ढूड़ा)


(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक— ३५९६/११०/तीन/९७ Vol-VII

दिनांक— २९/१२/१५

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
3. निदेशक कैम्प/वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समरत नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
5. निदेशक, सी एण्ड डी०एस०, जल निगम, उ०प्र०।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०पी०सी०एल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०आर०एन०एन०, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०एस०के०एन०एन, लखनऊ।
9. सूडा के समरत अधिकारीगण व समरत पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
10. समरत सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन०य०एल०एम० शहर।
11. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
12. श्री योगेश आदित्य, सहा०परि०अधि०/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर अपलोड करने हेतु।


(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक